

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक -एफ 1(8)ग्रावि/युप-1/2006

जयपुर, दिनांक

28 MAR 2018

-: आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 28.03.2018 को आयोजित बैठक में की गई अभिशंभा के आधार पर वर्ष 2017-18(विभाग में कॉडर पुर्नगठन द्वारा पद उपलब्ध दिनांक 11.09.2017) की रिक्तियों के विरुद्ध ग्रामीण विकास के श्री अशोक कुमार जैन, अतिरिक्त निजी सचिव को निजी सचिव के पद पर वेतन श्रृंखला PB (03) 15600-39100 GP 6000/- नवीन वेतन श्रृंखला L-15 में एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है ।

निजी सचिव का पद विभागीय आदेश दिनांक 11.09.2017 द्वारा कॉडर पुर्नगठन होने पर सम्मिलित हुआ है । इस प्रकार श्री जैन की वरिष्ठता/अनुभव की गणना एवं वित्तीय लाभ इत्यादि इनके निजी सचिव के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे ।

(A.P.S.)


श्री जैन के वरिष्ठ निजी सहायक के पद के कार्यानुभव में 1 वर्ष की शिथिलता हेतु सहमति कार्मिक विभाग द्वारा प्राप्त करली गई है ।

  
(सीमा सिंह)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास, राज. जयपुर।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्रामीण विकास, राज. जयपुर ।
3. सम्बन्धित कर्मचारी अधिकारी।
4. रक्षित पत्रावली ।

  
28/03/2018  
(राजेश कुमार शर्मा)  
परियोजना अधिकारी (प्रशासन)